रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 1972/फाल्गुन 30, 1893

No. 60] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 1972/PHALGUNA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 20th March 1972

SUBJECT.—*Import of (i) dry fruits (S. No. 21(a)(ii)/IV), (ii) Asafoetida, (S. No. 31(b)/V), (iii) Cumin Seeds (S. No. 37-IV) and (iv) Medicines, Medicinal herbs and extracts of Medicinal herbs and Plants from Afghanistan from 1st March, 1972 to 28th February, 1972.*

No. 44-ITC(PN)/72.—The General Trade Arrangement between India and Afghanistan signed on the 20th day of February, 1972, is reproduced in Annexure I. It has been decided to consider applications for imports from and exports to Afghanistan from any person in accordance with provisions made in this Public Notice.

2. **Definition of "any person".**—"Any person" under this Arrangement denotes (i) an individual, (ii), a karta of Hindu undivided family in respect of the family business, (iii) a partnership concern, (iv) a limited company, (v) an association or body of individuals or a body of associations,

Provided he has the requisite financial capability of transacting the business as certified by a scheduled bank.

3. **Persons not permitted to participate.**—However, following categories of persons will not be permitted to participate in the new Arrangement namely, those:—

(i) who have been de-registered from the list of "approved importers" under the previous trade Arrangements. (However, those "approved importers" who have remained dormant for a period of four years and have been deregistered in terms of Public Notice No. 240-ITC(PN)/68, dated 4th November, 1968, will be allowed to participate, if they are eligible otherwise, in terms of this Public Notice; or

(ii) who stand debarred from receiving import/export licences/release orders under the Import/Export Trade Control rules and regulations; or

(iii) whose counter-balancing obligations under the previous Indo-Afghan Trade Agreements stands unfulfilled.

4. **No diversion to third countries.**—It is agreed between the two Governments that the goods imported by either country from the other would be used only for consumption in the country of import. Serious notice will be taken of cases where goods imported from or exported to Afghanistan are diverted to a third country. Exporters of Schedule B-I commodities shall have to produce certificates of clearance through Afghanistan Customs. For this purpose, a photostat copy or a certified copy of the document showing clearance through Afghanistan Customs shall be produced by the exporter to the Indian Customs authorities.

5. **Trade should desist from abusing the system: Maintenance of reasonable prices.**—Trade is advised to ensure that reasonable prices are charged and that the existing system is used in the interest, and to the satisfaction, of consumers/producers in India and Afghanistan and for the development and diversification of Indian export products. They should also ensure that an efficient after-sales-service is maintained. Appropriate penal action will be taken if the trade arrangement is used to the disadvantage of producers and consumers of Indian and Afghanistan products and the healthier growth and diversification of trade between the two countries.

6. **Procedural matters (i) Licensing authorities.**—The importers are required to submit their applications for C.C.P's. to the respective licensing authority, according to the jurisdiction shown below:—

Licensing Authority	*Jurisdiction, Importers situated in*
Joint Chief Controller of Imports & Exports, New C. G. O. Building, New Marine Lines, Church Gate, Bombay-1.	Maharashtra, Gujrat, New Kandla, Goa, Daman, Diu, Dadra & Nagar Haveli. Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondicherry, Karaikal, Mahe, Yanam, Mysore, Kerala, Laccadive, Minicoy and Amindive Islands.
Joint Chief Controller of Imports & Exports (CLA) Indraprastha Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi.	Delhi, Rajasthan, U. P., Bihar, West Bengal, Andman & Nicobar Islands, Orissa, Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Arunchal, Manipur, Mizoram.
Controller of Imports and Exports, Central Revenue Building, The Mall, Amritsar.	Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir.

7. (ii) **Submission of applications for CCPs and documents to be furnished.**—Subject to the provisions of paragraph 11, the importers should apply for C.C.Ps in the prescribed form and manner indicating *inter-alia*, the c.i.f. value of goods together with invoices and Treasury Receipts. The invoice should indicate clearly, the quantity, the rate, total f.o.b. value, freight, insurance and total c.i.f. value.

8. **(iii) Incomplete.**—The applications for C.C.Ps and the documents furnished should be complete in all respects. This will make for the prompt issue of the C.C.Ps, which will be issued in duplicate. Incomplete applications are liable to be rejected.

9. (iv) **Production of invoices sale and purchase documents.**—While applying for a C.C.P. the importers are required to produce invoices and appropriate sale, purchase and other relevant documents to the licensing authorities concerned for determining the value of goods imported under the C.C.Ps. Failure to produce the relevant documents will render the importers liable to penal action.

10. (v) **'Import first' scheme.**—Those, who import first, will have to follow the procedure, as laid down hereunder:—

11. To start the cycle, C.C.Ps for import of dry fruits will be permitted to eligible applicants:

(a) **Importers:** to the extent of 12½ per cent of the value of his/their best year's import from Afghanistan in any of the three years i.e. August, 1968—July, 1969, August, 1969—July, 1970 and August 1970—July, 1971, subject to a maximum of Rs. 1,50,000 in value.

or

(b) **Exporters:** to the extent of five per cent of his/their value of best year's actual exports of Schedule 'B-I' items to Afghanistan in any of the three years i.e. August 1968—July, 1969, August 1969—July, 1970 and August 1970—July, 1971 plus twelve and a half percent of the value of his/their actual exports of Schedule 'B-II' items to Afghanistan during that year subject to a maximum of Rs. 1,50,000 in value.

or

(c) **Others:** to the extent of Rs. 50,000. (Rupees Fifty thousand only) subject to the production of a bank guarantee equivalent to fifty per cent of the value of imports in order to ensure counter-balancing exports.

Each eligible applicant will be allowed C.C.Ps *only under one of the three categories mentioned above.*

NOTE.—For computing past imports under (a), only such goods as were actually cleared during each of the three years August 1968—July, 1969, August 1969—July, 1970 and August 1970—July, 1971, from the Customs for consumption in India (after payment of import duty) should be taken into account.

12. (vi) **Not less than 50 per cent of counter-exports to consist of Schedule B-II items.**—CCPs for import from Afghanistan of items listed in Schedule 'A', other than fresh fruits and hides & skins, will be granted to eligible applicants subject to the condition that *not less than fifty per cent* of counter-balancing exports from India shall be of items listed in Schedule 'B-II'.

13. (vii) **Further CCPs to be issued on completion of 80 per cent of counter-export obligation.**—No further CCP for import of dry fruits will be issued to an applicant unless documentary evidence is produced to the satisfaction of the concerned licensing authority that he had fulfilled his counter-export obligation within a period of three months of the date of issue of the earlier CCP to the extent of not less than eighty percent, in the prescribed proportion as between Schedule 'B-I' and 'B-II' items, i.e. not less than fifty per cent of the exports should have consisted of Schedule 'B-II' items.

14. (viii) **Import of asafoetida, cumin seeds and medicinal herbs.**—Import of asafoetida, cumin seeds and medicinal herbs* from Afghanistan, will be permitted, to any person eligible under the provision of this Public Notice, provided the imports are counter-balanced by exports of Schedule 'B-I' and 'B-II' items in the prescribed proportion, as mentioned in the preceding paragraphs, within a period of three months of the date of issue of the earlier C.C.P.

*NOTE.—The import into India of medicines, extracts of medicinal herbs and plants produced in Afghanistan (vide Schedule 'A') and exports to Afghanistan of drugs, medicines and anti-biotics (vide Schedule 'B-II') is subject to their registration in the National Formulary, if any, of the two countries and the satisfaction of prescribed standards of purity and quality. Intending importers of these items into India, should produce to the licensing authorities, a certificate in original, from the Drugs Controller, New Delhi, as to their quality and purity.

15. **(ix) Export first Scheme.**—Permits for prior exports of Schedule 'B-I' and 'B-II' items will be granted to eligible exporters up to the value of Rs. 50,000 (Rupees Fifty thousand only); or upto twenty-five percent of the value of best years' actual exports to Afghanistan made in any of the three years namely, Aug. '68-July, '69, Aug. '69-July, '70 and Aug. '70-July, '71, subject to a maximum of Rs. 1,50,000/- in value. This will be subject to the production of a bank guarantee equivalent to fifty per cent of the value of exports to be permitted by the concerned authorities provided that the value of exports of Schedule 'B-II' items, in each case, is not less than fifty per cent of the total value of exports thus permitted.

Permits will be granted subject to the condition that the exporter will complete his counter-imports from Afghanistan within a period of three months from the date of export.

16. **(x) Counter-obligation to be fulfilled within 3 months.**—No further permit for exports from India will be issued unless documentary evidence is produced to the satisfaction of the Reserve Bank of India that he had fulfilled his counter-import obligation within a period of three months of the date of export of the first consignment to the extent of not less than eighty per cent of his exports to Afghanistan.

17. (xi) **Bank Guarantees.**—Bank guarantees referred to in the preceding paragraphs 11 and 15 *ante* shall be furnished to the licensing authorities mentioned in paragraph 6, who will watch performance and enforce the guarantee. The aforesaid bank-guarantees will cease when exports or imports, as the case may be, have been counter-balanced by corresponding imports or exports within the stipulated period, as evidenced by documents, referred to in para No. 20. The importers/exporters, who find difficulty in depositing the full amount of cash with their banks in order to secure the requisite 'bank guarantee', may approach their bankers, if they so desire, to obtain the 'export performance guarantee'*, on their behalf, from the E.C.G.C. (Export Credit and Guarantee Corporation of India. Express Towars (10th Floor) Nariman Point, Bombay-1).

18. **(xii) Time Table of fulfilment of Imports and Exports Obligation.** —Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, the overall imports and exports are to be counter-balanced by 28th February, 1973. Importers/Exporters are required to submit information monthly in respect of imports/exports and the counter-balancing obligations fulfilled by them, in the enclosed proforma (Annexure III) so as to reach the licensing authorities concerned by the 7th of the succeeding month.

*The 'Export Performance Guarantee' has been evolved by E.C.G.C. to help importers/exporters to secure, on easier terms, bank guarantees they have to furnish in course of their import/export business. For giving the guarantee the banks require the exporters to deposit varying amounts of cash, depending on their standing. To the extent they have to make a cash deposit, their resources are blocked. This guarantee seeks to help the Importers/Exporters to obtain the bank guarantee without making any cash deposit or against a reduced margin of deposit.

19. (xiii) **Penalty for non-fulfilment of export/import obligation.**—Those who fail to satisfy the licensing authority concerned and the Reserve Bank of India having fulfilled their import/export counter-balancing obligation will be disqualified from participating the Indo-Afghan Trade in future, without prejudice to any other penal action including forfeiture of the bank guarantee, that may be taken against them under the Import Trade Control/Customs/Foreign Exchange Rules and Regulations.

20. (xiv) **Documentary evidence: Documents to be produced.**—The following documents will constitute documentary evidence, referred to above:

Imports:—Triplicate copy of the bill of entry and the relevant invoices attested by Customs and, in case the transaction has been carried through banking channels, bank memos.

Exports:—Shipping bills and invoices duly certified by the Customs authorities, which should indicate the value and other details of Schedule 'B-I' and 'B-II' products actually exported.

21. (xv) **Validity of C.C.Ps.**—The C.C.Ps. will be valid for three months from the date of issue for import of dry fruits, asafoetida, cumin seeds and herbs.

22. (xvi) **Distribution of C.C.Ps.**—The Customs authorities will send the Customs Purposes copy of C.C.P. to the concerned licensing authority direct indicating the actual utilisation of the quantity and the value covered by each C.C.P. in the prescribed form on the reverse of the permit. The second copy will, as at present, be handed back to the importer to be furnished to Reserve Bank of India, duly stamped and signed.

23. (xvii) **Distribution of Transit Certificates.**—The importers while presenting the C.C.Ps. to the Customs authorities concerned will produce five copies of the Transit Certificates issued by the Royal Afghan Government. One copy of the certificates received by the Customs authorities will be retained by them, the second copy forwarded to the Reserve Bank of India, the third copy and the fourth copy to the office of the Chief Controller of Imports & Exports New Delhi, for onward transmission to the Royal Afghan Government and Indian Embassy in Kabul. The fifth copy is to be forwarded by the Customs authorities to the licensing authority concerned.

24. **Bonded Warehousing facilities.**—In order to discourage speculative tendencies the bonding and ware-housing facilities at the Customs posts in India will not, ordinarily, be available. However, to facilitate storage during summer, the bonding facility may be provided for a period of not more than six months between 1st March and 31st October, and will be limited to only dry fruits other than almonds and khasta. Warehoused dry fruits will have to be cleared on payment of customs duty before 31st October.

25. **Imports to be made on outright purchase basis limited exception.** Imports of commodities from Afghanistan into India should be made on outright purchase basis only and no imports on consignment basis will be permitted. However, exception has been made in regard to dry fruits other than almonds and Khasta, which may be imported from Afghanistan for being kept in Customs-bonded warehouses between 1st March and 31st October for a maximum period of six months. Consignments thus allowed to be imported must be sold within the period of bonding *i.e.* before 31st October at the latest, else penal action will be taken. The sale invoices should be produced to customs authorities for checking. In other words, imports of dry fruits ,other than almonds and Khasta, which are not to be kept in bond, should be imported on outright purchase basis. Imports on consignment basis, save under the aforesaid provision, will be treated as unauthorised and the importers will be liable to penal action under the Import Trade Control/ Customs regulations.

26. **Banking Channels.**—To explore the practicability of routing trade exchanges between Afghanistan and India through banking channels, the two Governments agree that a beginning would be made with regard to the import of Asafoetida from Afghanistan. Detailed arrangements in this regard will be announced separately.

27. **Counter-balancing of last period's imports and exports.**—Imports of fresh fruits from Afghanistan effected under the provisions of the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 93-ITC(PN)/71 dated 31st July, 1971, No. 136-ITC(PN)/71, dated 8th October, 1971, No. 157-ITC(PN)/71 dated 15th November, 1971, No. 10-ITC(PN)/72 dated 22nd January, 1972 should be counter-balanced by 31st July, 1972, at the latest. In respect of advance exports to Afghanistan effected upto 29th February, 1972, the last date for fulfilment of counter-import obligation will be 31st March, 1972, as provided in Public Notice No. 10-ITC(PN)/72 dated 22nd January, 1972.

28. **Method of valuation for counter-exports to Afghanistan.**—The following will be the method of valuation of Afghan goods for determining the value of counter-exports to be made from India to Afghanistan during the current Trade Arrangement period:

Afghan goods, whether imported on outright purchase or in terms of para 25 above should be valued on the basis of sale invoices accepted by Indian Cutsoms. The value of counter-exports should be equal to the value of imports as determined in the manner indicated above.

29. **Manner of Payment.**—Payment for goods exchanged under this Arrangement as mentioned in Schedule 'A', excluding Hides & Skins, and Schedule 'B-I' & B-II', will be made, in accordance with the E.P. Procedures prescribed by the Reserve Bank of India, Payments for imports and exports of commodities not covered by Schedule 'A', 'B-I' and 'B-II (*i.e.* Schedule 'C' items) shall be made by establishing letters of credit in transferable U.S. Dollars or Pounds Sterling. In respect of Hides & Skins payment arrangement has already been indicated in paragraph 4(d) of Annexure I.

30. **Export of Schedule B-I & B-II items against free foreign exchange.**—It is clarified for the information of the trade that the commodities covered under Schedule 'B-I' and 'B-II' can also be exported to Afghanistan in any quantity against payment made by establishing letters of credit in transferable U.S. Dollars or Pounds Sterling.

ANNEXURE I

Indo-Afghan Trade Arrangement for 1972-73

A delegation from Afghanistan led by H.E. Mr. M. Aref Ghaussi, Ministry of Commerce, Royal Afghan Government and a delegation from India led by Shri L. N. Mishra, Minister of Foreign Trade, Government of India, held trade talks in New Delhi from February 18 to February 20, 1972.

2. The two delegations reviewed the working of Indo-Afghan trade in all its aspects during the preceding three years and discussed the Trade Arrangement for 1972-73. They noted that progress towards diversification of trade has been limited. The two delegations re-affirmed their resolve to promote, develop, and diversify trade between India and Afghanistan to mutual advantage, to eliminate concentration of Trade and to remove difficulties in the existing system.

3. The Government of India and the Royal Government of Afghanistan agreed that they would provide facilities for setting up a plant in Afghanistan through Joint venture for the production of extracts of medicinal herbs and plants grown in Afghanistan. India offered to make use of these extracts for its own pharmaceutical industry for a period of twenty years. Afghanistan expressed its desire to purchase medical and surgical instruments and other surgical supplies manufactured in India. The two Delegations further agreed to import drugs and medicines manufactured in the two countries. As a step forward towards this, the concerned authorities of the two Governments would permit the registration of medicines manufactured in the two countries in their National Formulary, if any, subject to the satisfaction of prescribed standards of purity and quality.

4. In accordance with the provisions of Article 15 of the Treaty of 1950 between the Royal Afghan Government and the Government of India, and subject to their respective import, export and foreign exchange regulations and the special trade arrangement that may be concluded between the two Governments from year to year, the two Governments re-affirmed their agreement to the following:—

(a) Import of Schedule 'A' commodities from Afghanistan will be permitted to any person into India whose imports are counterbalanced by exports of Schedule 'B-I' and 'B-II' commodities from India in the prescribed proportion.

(b) Export of Schedule 'B-I' and 'B-II' commodities from India will be permitted in the prescribed porportion to any person whose exports are counterbalanced by imports from Afghanistan of Schedule 'A' commodities.

(c) Payment for imports and exports of commodities not covered by Schedule 'A', 'B-I' and 'B-II' shall be made by establishing letters of credit in transferable US dollars or Pound Sterling.

(d) The special self-balancing account maintained by the Da Afghanistan Bank with the State Bank of India will continue to be utilised to facilitate imports of hides and skins on a liberal basis against exports of goods and services from India.

5. It is the understanding between the Government of India and the Royal Government of Afghanistan that the goods imported by either country from the other would be used for consumption in the country of import, and effective steps would be taken to prohibit and prevent their diversion to third countries.

6. The two Governments will consult with each other periodically to review the above arrangements with a view to removing any difficulty in the working of this arrangement.

7. This Trade Arrangement will come into force from 1st March, 1972 and will remain valid for one year. Unless either Contracting Party gives notice of termination or amendment one month prior to the expiry of this arrangement, it will automatically be extended by a further period of one year. On the expiry of the second year of the arrangement, unless either Contracting Party gives notice of termination or amendment, one month prior to the expiry of the second year, it will automatically be extended by a further period of one year.

Signed at New Delhi this Twentieth day of February, 1972.

(Sd.) M. AREF GHAUSSI,
Minister of Commerce
Royal Afghan Government
Leader, Afghan Trade Delegation.

(Sd.) L. N. MISHRA,
Minister of Foreign Trade
Government of India,
Leader, Indian Trade Delegation.

ANNEXURE II

Schedule 'A'

Commodities for Export from Afghanistan to India

Fruits (dry and fresh all kinds).

Asafoetida.

Cumin Seeds.

Hides & skins

Medicines, Extracts of Medicinal Herbs and Plants produced in Afghanistan.

Medicinal herbs (detailed as under):

English	*Farsi*
Hysop.	Zoofa.
Rosa Rose Flower (dried).	Gule Golab.
Buglass (Borage).	Gule-Gawzaban.
Quince (Borage).	Hed-Denna.
White and red Behmen (Urdu).	Behmane (Safid wa Sorkh).
Jujube.	Onnab.
Ratanjot (Hindi).	Yarland.
Manna.	Turanjabeen.
Doroncum.	Darawenj.
Manna (taken from Atrapharis Spinosa).	Sheer-Khest.
Liquoric (Mulathi).	Shireen Boia.
Wild Carret.	Shakakul.

Any other commodity that may be agreed upon between the two Governments.

Schedule 'B-I'

Commodities for Export from India to Afghanistan

1. Tea other than CTC and Dust.
2. Coffee.
3. Cardamom (Big and Small).
4. Pepper.
5. Tobacco—raw and unmanufactured.
6. Coir and Coir Products.
7. Dyeing and Tanning Substances (natural).
8. Myroblam and Myroblam extracts.
9. Leather Manufactures imported by private parties.
10. Jute Manufactures imported by private parties.
11. Cotton yarn, Cotton twist and Cotton thread.

Schedule 'B-II'

Commodities for export from India to Afghanistan

1. Fabrics—mill made and handloom, including sarees, of cotton, rayon and wool; hosiery and knitted garments of cotton, rayon and wool; other manufactures of cotton, rayon and wool; Fabrics and other manufactures of silk excluding saree fabrics, sarees, scarves and zari.

2. *Food Products*:
   Confectionery.
   Fish—dried and salted.
   Fish prawns—dried.
   Preserved Mango and other vegetable products, provisions and oilman's stores.
   Sago.
   Tapioca and its products.
   Cane jaggery/cane jaggery powder (India gur)

3. *Agricultural Products.*
   Hydrogenated oils, i.e. 'Vanaspati' or vegetable ghee.
   Vegetable oils and Oilseeds.

4. Chemical Products and Soaps—Chemicals and Chemical preparations.

5. Drugs, Medicines, and Antibiotics.
   Sera and Vaccines.
   Alkaloids of opium and its derivatives.
   Naphthalane.
   Soap—toilet and household.
   Toilet requisites and perfumery.
   Paints, pigments and varnishes.

6. *Engineering goods—*
   Printing machinery.
   Diesel engines.
   Pumps driven by diesel engines and electric motors.
   Sewing machines.
   Bicycles and their parts.
   Textile machinery such as carding machinery and Weaving looms.
   Machine tools.
   Handtools and small tools, small rivercrafts.
   Sugarcane crushing machinery.
   Rice, Flours and oil crushing machinery.
   Ball bearings.
   Agricultural implements.
   Automobiles parts other than those sent as spares with automobiles.
   Gliders.

7. *Electrical Goods—*
   Electrical appliances and accessories such as conduit pipes, switches, bells, holders, cut-outs etc.
   Electrodes.
   Electric bulbs and tubes.
   Electric fans and their parts
   Electric torch lights.
   Batteries (dry and wet).
   Electric motors.

Ebonite sheets, rods and tubes.
Cables and wires.

8. *Household and Building Requirements—*
Utensils including stainless steelware, Cooking ranges, heaters, electric iron, toasters, Kettles, etc.
Household electrical fittings and fixtures.
Roofing tiles.
Bricks.
Linoleum.
Sanitaryware.
G.I. Pipes and fittings.
Manhole cover and plates.
Kerosene stoves.
Incandescent oil pressure lamps.
Safes, strong boxes and room fittings.

9. *Hardware—*
Locks and padlocks.
Cutlery.
Bolts, nuts, screws and hinges.
Steel furniture and hospital appliances.
Scientific instruments of all types.
Weighing machines.
Surgical and medical instruments.
Steel buckets.

10. *Rubber Manufactures—*
Tyres and Tubes.
Other rubber manufactures.

11. *Leather Manufactures—*
Imported by Government or Government undertakings.
Artificial leather goods.

12. *Handicrafts and Cottage Industry Products—*
Stationery and paper.

13. *Miscellaneous—*
Exposed Cinema Films imported by Government or Government undertakings.
Commercial decorative plywood.
Glassware including tableware, glass bottles and bangles.
Artificial porcelain teeth.
Synthetic stones.
Books and printed matter.
Cigarettes.
Postage stamps.
Refined mineral oils.
Bichromates.
Sports goods.
Firebricks and fireclay.
Ropes.

14. Jute Manufactures imported by Government or Government undertakings.

15. Any other commodities agreed upon between the two Governments.

Schedule 'C'

Illustrative list of Products available for Export from India

1. *Machinery and Plants and parts thereof* e.g.
   (i) Mining Machinery and Equipment.
   (ii) Canning Machinery and parts thereof.
   (iii) Slaughter House Machinery.
   (iv) Cement Plants.

   Road Making and construction Machinery e.g.
   (i) Cement Mixers.
   (ii) Vibrators.
   (iii) Stone crushers.
   (iv) Polishing equipment.
   (v) Road Rollers.
   (vi) Bulldozers.

3. Iron and Steel Construction Materials not mentioned under the heading "Hardware in Schedule 'B'.
4. Petrol Pumps.
5. Electric Generation, distribution and Sub-Station equipment—including portable and fixed generators.
6. Water treatment, sewage and Public Health Engineering Products.
7. *Telecommunication Equipment e.g.*

   Telegraph and Telegraph Apparatus and Equipment, Telephone Equipment etc.
6. Motor Vehicles *e.g.* truchks, buses, dumpers, and jeeps, including parts and ancillaries imported with motor vehicles.
9. Wood working machinery.
10. Refrigerators.
11. Tractors.
12. Compressors.
13. Lathes.
14. Graders.
15. Central Airconditioning equipment.
16. Accounting Machines.
17. Cutting Tools.
18. Ferrous and Non-ferrous castings and forgings.
19. P.V.C. products—including P.V.C. footwear.
20. Radio Receivers.
21. Cranes.
22. Sugar.
23. Other items not included in Schedules 'B-I' and 'B-II' to the Trade Arrangement.

ANNEXURE III

Form of Affidavit to be Filled in by Importers/Exporters

I/We here by solemnly declare that the following statement is true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any CCP/Export permit granted to me/us on the basis of this statement is liable to cancellation, without prejudice to any other penal action that may be taken in this behalf, if any information furnished hereunder is found to be incorrect or false.

Particulars of C.C.P.

C.C.P. No.
Date of issue
Description of goods value

Date.....

Signature .....

Name in block letters .....
Name & address of the firm .....
.....

For the month ending	IMPORTS						EXPORTS					
	Item of import	C.A.V./C.A.W. of imports made under C.C.Ts. of the current Agreement period.		Adjustments due to the transfers.		Total (Rs.)	Schedule B-I items (value) (Rs.)	Schedule B-II items (value) (Rs.)	Total (Value) (Rs.)	Percentage of		Percentage fall Excess (+) Shortof (—)	
				Add. (Rs.	Deduct (Rs.)					B-I items	B-II items	B-I items	B-II items
		C.A.V./C.A.W. (Rs.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(*i*) B. F. (give progressive totals of previous months of each item).*													
(*ii*) ..... (give month and year and also specify the items)*.													

**The Items are* :
Dry Fruits :
(*i*) *Almonds*—soft shell, Hard Shell, Without Shell.
(*ii*) *Pista*—With shell, without shell.
(*iii*) Resins and other dry fruits.
(*iv*) Other items, Asafoetida, Cumin Seeds, Medicinal Herbs.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1972

विषय.—अफगानिस्तान से (1) सूखे फलों (क्रम सं० 21 (ए) (2) 4, (2) हींग (क्रम सं० 31/6/5, (3) जीरा बीजों (क्रम सं० 37–4) और (4) औषधियों, औषधीय बूटियों तथा औषधी बूटियों के सत और पौधों का 1–3–1972 से 28–2–1973 तक आयात ।

संख्या 44-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—20 फरवरी, 1972 को भारत और अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षर की गई सामान्य व्यापार व्यवस्था अनुबंध 1 में उद्धृत की जाती है । अफगानिस्तान से आयात और अफगानिस्तान को निर्यात के लिए किसी व्यक्ति से प्राप्त आवेदन पत्रों पर इस सार्वजनिक सूचना में की गई व्यवस्था के अनुसार विचार करने का निश्चय किया गया है ।

2. **किसी व्यक्ति की परिभाषा.**—इस व्यापार के अन्तर्गत "किसी व्यक्ति का अर्थ है—एक व्यक्ति, (2) परिवार व्यवसाय के संबंध में अविभाजित हिन्दू परिवार का एक कर्ता, (3) एक साझादारी संस्था (4) एक लिमिटिड कम्पनी, (5) एक संघ या व्यक्तियों का निकाय या संघों का निकाय, बशर्ते कि यह व्यक्ति अनुसूचित बैंक द्वारा यथा प्रमाणित व्यवसाय करने की अपेक्षित वित्तीय क्षमता रखता हो ।

3. **वे व्यक्ति : जिन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं है.**—लेकिन, नई व्यवस्था में निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात् वे व्यक्ति :—

(1) जो पिछली व्यापार व्यवस्थाओं में "अनुमोदित आयातकों" की सूची से अपंजीकृत कर दिए गए हैं । (लेकिन वे "अनुमोदित आयातक" जो चार साल की अवधि के लिए निष्क्रय रहे हैं और जो सार्वजनिक सूचना सं० 240–आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 4–11–68 के अनुसार अपंजीकृत किए गए हैं, यदि वे इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार अन्यथा पात्र हैं, तो उनको इस व्यवस्था में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी) : अथवा

(2) जो आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण नियमों और विनियमों के अधीन आयात/निर्यात लाइसेंस/रिहाई आदेश प्राप्त करने से बहिष्कृत कर दिए गए हैं, अथवा :

(3) जिन्होंने पिछली भारत अफगान व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रति संतुलन आभारों को पूरा नहीं किया है ।

4. **तीसरे देश को अपवर्तन नहीं.**—दोनों सरकारों के बीच यह सहमति हुई है कि एक देश द्वारा दूसरे देश से आयातित माल का केवल आयात करने वाले देश में खपत के लिए उपयोग किया जाएगा । यदि किसी मामले में अफगानिस्तान से आयातित अथवा उसको निर्यातित माल का तीसरे देश को अपवर्तन किया जाएगा तो सख्त कारवाई की जाएगी । अनुसूचि बी–1 की पण्य वस्तुओं के

निर्यातकों को अफगान सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से निकासी के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इस कार्य के लिए अफगान सीमाशुल्क विभाग के निकासी दर्शाते हुए एक फोटोस्टेट प्रतिलिपि या दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निर्यातक द्वारा भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी।

5. **व्यापारियों को पद्धति का दुरुपयोग बन्द करना चाहिए—कीमतों को संतुलित रखना.**— व्यापारियों को इस बात का सुनिश्चिय करने की सलाह दी जाती है कि उचित मूल्य वसूले जाते हैं और यह कि भारत तथा अफगानिस्तान के उपभोक्ताओं/उत्पादकों के हित और संतुष्टि के लिए और भारतीय निर्यात उत्पादों का विकास करने तथा नानाविध बनाने के लिए वर्तमान पद्धति का उपयोग किया जाता है। उन्हें यह भी सुनिश्चिय करना चाहिए कि बिक्री के बाद सेवा का निपुणता से पालन किया जाता है। यदि भारतीय और अफगान उत्पादों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में और दोनों देशों के बीच व्यापार की लाभप्रद वृद्धि और बहुमुखता के विरुद्ध व्यापार व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा तो यथोचित दन्दात्मक कारवाई की जाएगी।

क्रियाविधि संबंधी मामले (1) **लाइसेंस प्राधिकारी**.—आयातक सीमाशुल्क निकासी परमिटों के लिए अपने आवेदन-पत्रों को नीचे प्रदर्शित अधिकार क्षेत्र के अनुसार संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करें:—

लाइसेंस प्राधिकारी	अधिकार क्षेत्र जिसमें आयातक स्थित है
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, न्यू सी० जी० ओ० बिल्डिंग न्यू मरिन लाइन्स, चर्चगेट, बम्बई–1	महाराष्ट्र, गुजरात, न्यू कांडला, गोवा, दमन, दिव, दादरा तथा नगर हवेली, मध्य प्रदेश, आन्ध्र, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कारिकल, माहे, यनम, मैसूर, केरल, लकादिव मिनिकाय और आमिन्दिव द्वीप।
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।	दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, अन्दमान, और निकोबार द्वीप उड़ीसा, असम, नागालैंड मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोराम।
नियंत्रक, आयात-निर्यात, सेन्ट्रल रिवेन्यू बिल्डिंग, दि माल, अमृतसर।	पंजाब, हरियाणा, चन्दीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर।

7. (2) **सीमाशुल्क निकासी परमिटों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना और दस्तावेज जो प्रस्तुत करने हैं**.—कंडिका 11 की शर्तों के अधीन, आयातकों को सीमाशुल्क निकासी परिमटों के लिए निर्धारित प्रपत्र में और विहित रीति से अन्य बातों के साथ साथ माल का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य निर्दिष्ट करते हुए बीजकों और राजकोष रसीदों के साथ आवेदन करना चाहिए। बीजक में माल्ा, दर, कुल जहाज-पर्यन्त, निःशुल्क मूल्य, भाड़ा बीमा और कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए।

8. (3) **अपूर्ण आवेदन-पत्र अस्वीकार किए जा सकते हैं**.—सीमाशुल्क निकासी परमिटों के लिए आवेदनपत्र और प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सब प्रकार से पूर्ण होने चाहिएं । इससे सीमाशुल्क निकासी परमिट, जो अनुलिपि सहित जारी किए जाएंगे उन्हें शीघ्र जारी करने में सुविधा होगी । अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9. (4) **बीजकों, विक्रय और क्रय दस्तावेजों का प्रस्तुत करना**.—सीमाशुल्क निकासी परमिटों के लिए आवेदन करते समय आयातकों द्वारा संबंद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को सीमाशुल्क निकासी परमिटों के अधीन आयातित माल के मूल्य का निश्चय करने के लिए बीजक और समुचित विक्रय क्रय दस्तावेज तथा अन्य संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक हैं । संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने पर आयातकों के विरुद्ध दंडात्मक कारवाई की जाएगी ।

10. (5) **"प्रथम आयात" अनुसूची**.—वे जो प्रथम बार आयात करेंगे, उन्हें आगे यथा-निर्दिष्ट क्रियाविधि का अनुसरण करना होगा :—

11. चक्र को प्रारम्भ करने के लिए सूखे फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिटों की अनुमति पात्र आवेदकों को दी जाएगी :—

(क) **आयातक** :—इन तीन वर्षों अर्थात अगस्त, 1968, जुलाई, 1969, अगस्त, 1969—जुलाई, 1970 तथा अगस्त, 1970 जुलाई, 1971 में से किसी एक वर्ष के दौरान अफगानिस्तान से उसके/उनके सूखे फलों के आयातों के मूल्य के $12\frac{1}{2}\%$ की सीमा तक यह अधिक से अधिक 1,50,000 रु० मूल्य के अधीन है ।

या

(ख) **निर्यातक** .—इन तीन वर्षों अर्थात अगस्त, 1968—जुलाई, 1969, अगस्त, 1969—जुलाई, 1970 और अगस्त, 1970—जलाई, 1971 में से किसी एक वर्ष के दौरान अनुसूची 'बी 1' मदों के उसके/उनके अफगानिस्तान को सर्वोत्तम वर्ष के वास्तविक निर्यात के मूल्य के 5 प्रतिशत की सीमा तक और उसी वर्ष के दौरान अनसूची 'बी० 2' मदों के उसके/उनके अफगानिस्तान को वास्तविक निर्यात मूल्य के $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सीमा तक, यह अधिक से अधिक 1,50,000 रु० मूल्य के अधीन है ।

(ग) **अन्य** :—50,000 रु० (पचास हजार रुपये मात्र) की सीमा तक बशर्ते कि निर्यातों के प्रति संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए आयातों के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए ।

प्रत्येक पात्र आवेदक को सीमाशुल्क निकासी परमिटों की अनुमति **उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से केवल किसी एक श्रेणी के अधीन दी जाएगी।**

टिप्पणी :—(क) के अधीन भूतकालीन आयातों का परिकलन करने के लिए ऐसा माल .....हिसाब में लेना चाहिए जो अगस्त, 1968—जुलाई 1969, अगस्त 1969 जुलाई, 1970 और अगस्त 1970—जुलाई 1971 तीन वर्षों के दौरान भारत में खपत के लिए (आयात शुल्क चुकाने के बाद) सीमा-शुल्क विभाग द्वारा वास्तव में निकासी किया गया था ।

12. (6) **अनुसूची "बी–2" की मदों का निर्यात-संतुलन 50% से कम न हो।**—ताजा फलों और चमड़े तथा खालों से भिन्न अनुसूची "ए" में सूचीबद्ध मदों के अफगानिस्तान से आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट पात्र आवेदकों को इस शर्त के अधीन जारी किए जायेंगे कि अनुसूची "बी–2" में सूचीबद्ध मदों का भारत से निर्यात का प्रतिसंतुलन 50% से कम नहीं है।

13. (7) **प्रति-निर्यात दायित्व के 80% को पूर्ण करने पर ही आगे सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किए जाएंगे।**—सूखे फलों के आयात के लिए किसी आवेदक को तब तक और सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी नहीं किया जाएगा जब तक वह संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी की संतुष्टि साक्ष्य प्रस्तुत न कर दे कि उसने पिछला सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी होने की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर अपना प्रति-निर्यात आभार कम से कम 80% की सीमा तक अनुसूची "बी–1" और "बी–2" की मदों के बीच निर्धारित अनुपात में पूर्ण किया था, अर्थात् निर्यातों में कम से कम 50% निर्यात अनुसूची "बी–2" की मदों का होना चाहिए।

14. (8) **हींग, जीरा बीजों और औषधीय बूटियों का आयात।**—अफगानिस्तान से हींग, जीरा बीजों और औषधीय बूटियों* के आयात की अनुमति किसी भी ऐसे पात्र व्यक्ति को इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अधीन दी जाएगी जिसके आयात अनुसूची "बी–1" और "बी–2" मदों के निर्यातों द्वारा निर्धारित अनुपात में पूर्वोक्त कंडिकाओं में यथा उल्लिखित पिछला सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी होने की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर प्रति संतुलित हैं।

*औषधियों औषधीय बूटियों के सत्त और अफगानिस्तान में उत्पादित पौधों (देखिये अनसूची "ए" का भारत में आयात और भेषजों, औषधियों तथा प्रतिजीविकी (देखिये अनुसूची "बी–2") का अफगानिस्तान को निर्यात दोनों देशों की नेशनल फार्मुलरी, यदि कोई हो, में उनके पंजीकरण और उनकी शुद्धता तथा गुण के निर्धारित स्तरों के संतुष्टिप्रद होने के अधीन है। भारत में इन मदों के इच्छुक आयातकों को भेषज नियंत्रक, नई दिल्ली से इन मदों के गुण और शुद्धता का मूल रूप में एक प्रमाणपत्र लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना चाहिए।

15. (9) **निर्यात प्रथम यात्रा।**—अनुसूची "1-बी" और "बी–2" मदों के प्रथम निर्यातों की अनुमति पात्र निर्यातकों को 50,000 रु० (पचास हजार रुपये मात्र) के मूल्य तक या तीन सालों अर्थात् अगस्त '68–जुलाई '69, अगस्त '69–जुलाई '70 और अगस्त '70–जुलाई '71 में से किसी एक साल में अफगानिस्तान को किए गए सब से अच्छे साल के वास्तविक निर्यातों के मूल्य के 25% जो मूल्य में 1,50,000 रुपये से अधिक न हो, तक दी जाएगी। यह अनुमति 50% के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

16. भारत से निर्यात के लिए अगामी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक भारत के रिजर्व बैंक की संतुष्टि के लिए प्रलेखीय साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर दिए जाते कि उसमें प्रथम प्रेषण के निर्यात की तारीख के तीन माह की अवधि के भीतर अपने प्रतिआयात आभार को पूरा कर दिया था जो अफगानिस्तान को उसके किए गए निर्यात का 80 प्रतिशत की सीमा से कम नहीं है।

17. पूर्व की प्रारम्भिक कंडिका 11 और 15 में उल्लिखित बैंक गारंटियों को कंडिका 6 में उल्लिखित लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने चाहिए जो कार्य की जांच करेंगे और गारंटी को लागू करेंगे। जब निर्यात या आयात, जैसा भी मामला हो, निर्धारित अवधि के भीतर, कंडिका 20 में उल्लिखित प्रेलेखों के साक्ष्य के अनुसार, तत्सम्बन्धी आयात या निर्यात द्वारा प्रतिसंतुलित

कर दिए गए हैं, तो उपर्युक्त बैंक गारंटियां समाप्त हो जायेंगी । वे आयातक/निर्यातक जो अपेक्षित "बैंक गारंटी" की प्राप्ति के लिए अपने बैंकों में नकद की सारी राशि को जमा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, यदि वे इस के लिए इच्छुक हैं तो वे अपनी ओर से, ई० सी० जी० सी० [निर्यात साख और गारंटी निगम, भारत, एक्सप्रैस टावर्स (10वीं मंजिल), नारीमन पोइन्ट, बम्बई–1] से "निर्यात कार्य सम्पादन गारंटी* प्राप्त करने के लिए अपने बैंकरों से सिफारिश करें ।

*आयातकों/निर्यातकों को बैंक गारंटी को जिसे उन्हें अपने आयात/निर्यात व्यापार के दौरान प्रस्तुत करना है, उन्हें प्राप्त करने में सहायता मिले, "निर्यात कार्य सम्पादन गारंटी" ई० सी० जी० सी० द्वारा खोली गई है । गारंटी देने के लिए बैंक निर्यातकों से नकद परिवर्तनीय धनराशि को जमा करने की अपेक्षा रखता है, जो उनकी स्थिति पर निर्भर है । जिस सीमा तक उन्हें नकद जमा करना है, उनके स्रोत अवरुद्ध है । यह गारंटी आयातकों/निर्यातकों को बिना किसी प्रकार नकद राशि जमा किए या जमा करने की राशि की सीमा में कमी कर बैंक गारंटी प्राप्त करने में सहायता करना चाहती है ।

18. (5) **आयात और निर्यात आभार को पूरा करने की समय सरणि**—पूर्व की कंडिकाओं में किसी बात को शामिल होते हुए भी, सभी आयातों और निर्यातों को 28 फरवरी, 1973 तक प्रतिसंतुलित करने हैं । आयातकों/निर्यातकों को संलग्न प्रपत्र (अनुबन्ध–3) में आयात-निर्यात तथा उनके द्वारा पूरा किए गए प्रतिसंतुलन आभार के सम्बन्ध में मासिक सूचना प्रस्तुत करने की जरूरत है ताकि यह अनुवर्ती माह की 7 तारीख तक सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों के पास पहुंच सके ।

19. (6) **निर्यात/आयात आभार को पूरा न करने पर दण्ड** :—वे जो पूरे किए गए अपने आयात/निर्यात प्रतिसंतुलित आभार से सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी/भारत के रिजर्व बैंक को संतुष्ट करने में असफल होंगे वे भविष्य में भारत-अफगान व्यापार में सहयोग देने के योग्य नहीं होंगे और यह कार्रवाई किसी भी अन्य दंडनीय कार्रवाई जिसमें बैंक गारंटी का अपवर्तन भी शामिल है, जो आयात व्यापार नियंत्रण/सीमा-शुल्क/विदेशी मुद्रा-विनिमय नियमो और विनियमों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध की जाने वाली है, बिना किसी पक्षपात की होगी ।

20. (7) **प्रलेखीय साक्ष्य जो प्रलेख प्रस्तुत किए जाने हैं**:—उपर्युक्त उल्लिखित के लिए निम्नलिखित प्रलेख प्रलेखीय साक्ष्य होंगे :—

आयात : आयात-पत्र की तीन प्रतियां तथा सीमाशुल्क द्वारा साक्ष्यांकित संबंधित बीजक, यदि सौदा बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से किया गया है तो बैंक मीमों ।

निर्यात : लदान पत्र तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् सत्यापित बीजक जिसमें वास्तविक निर्यात किये गये अनुसूची–'बी–1' तथा 'बी–2' के उत्पाद के मूल्य और अन्य विवरणों का संकेत होना चाहिए ।

21. (8) **सीमाशुल्क निकासी परमिट की वैधता**.—सीमाशुल्क निकासी परमिट सूखे फलों, हींग, जीरा बीज तथा जड़ी-बूटी के आयात के लिए जारी की गई तिथि से तीन माह तक वैध होंगे ।

22. (9) **सीमा शुल्क निकासी का वितरण**.—सीमाशुल्क प्राधिकारी सीमाशुल्क निकासी परमिट की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को सम्बद्ध लाईसेंस प्राधिकारी को माल के वास्तविक किए गए उपयोग और प्रत्येक सीमाशुल्क निकासी परमिट में शामिल किये गये मूल्य को परमिट के पीछे निर्धारित प्रपत्र में संकेतित करते हुए सीधे भेजेंगे । वर्तमान नियमानुसार तृतीय प्रति को आयातक को लौटा दी जायेगी जो विधिवत् मुहर तथा हस्ताक्षर युक्त भारत के रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जानी है ।

23. (10) **पारगमन प्रमाण-पत्र का वितरण**.—आयातक जब सीमा-शुल्क निकासी परमिटों को संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत कर रहे हों तो राजकीय अफगान सरकार द्वारा जारी किये पारगमन प्रमाण-पत्र की पांच प्रतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए । सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किये गये प्रमाण-पत्रों की एक प्रति उनके द्वारा रख ली जायेगी । द्वितीय प्रति भारत के रिजर्व बैंक को अग्रसारित की जायेगी, तीसरी तथा चौथी प्रति को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली से राजकीय अफगान सरकार तथा काबुल स्थित भारतीय राजदूतावास को आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जायेगी । पांचवीं प्रति सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को अग्रसारित की जानी है ।

24. **बद्ध माल गोदाम की सुविधाएं**.—सट्टेबाजी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन न देने के विचार से बंधक तथा मालगोदाम की सुविधाएं साधारणतः भारत में सीमाशुल्क पत्तनों पर उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी । लेकिन, ग्रीष्म ऋतु में गोदाम को सुविधाजनक बनाने के लिए बंधक सुविधा 1 मार्च से 31 अक्तूबर के बीच की अवधि में 6 मास से अधिक की अवधि तक नहीं दी जायेगी और यह बादाम तथा खस्ता से भिन्न केवल अन्य सूखे फलों के लिए सीमित है । माल गोदाम सूखे फलों की निकासी 31 अक्तूबर से पहले सीमाशुल्क कर का चुकता करने पर होगी ।

तत्क्षण खरीद के आधार पर निर्यात किया जाना—सीमित छूट :—अफगानिस्तान से भारत में वस्तुओं का आयात केवल तत्क्षण खरीद के आधार पर किया जाना चाहिए और परेषण के आधार पर किसी प्रकार के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन, बादाम तथा खस्ता को छोड़कर अन्य सूखे फलों के सम्बन्ध में छूट दी गई है जिनका आयात अफगानिस्तान से परेषण के आधार पर किया जा सकता है और सीमाशुल्क बंधक माल गोदाम 1 मार्च से 31 अक्तूबर के बीच की अधिक से अधिक 6 मास की अवधि तक रखे जा सकते हैं । इस प्रकार के स्वीकृत परेषण जो आयात किया जाना है को बंधक अवधि अर्थात् अधिक से अधिक 31 अक्तूबर को इसे अवश्य बेच दिया जाना चाहिए अन्यथा दंडनीय कार्रवाई की जायेगी । विक्रय बीजकों को जांच के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना चाहिए । दूसरे शब्दों में, बादाम तथा खस्ता को छोड़कर अन्य सूखे फल जो बंधक में नहीं रखे जाने हैं, उनका आयात तत्क्षण खरीद के आधार पर किया जाना चाहिए। परेषण के आधार पर किया गया आयात उपर्युक्त व्यवस्था के अन्दर सुरक्षित किया जाता है, तो उसे अनधिकृत समझा जाएगा तथा आयातकों पर आयात व्यापार नियंत्रण/सीमाशुल्क विनियमों के अन्तर्गत दंडनीय कार्रवाई की जायेगी ।

26. **बैंकिंग सूत्र**.—भारत और अफगानिस्तान के बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से व्यापार विनिमय मार्ग—निर्धारण करने की संभावना की खोज करने पर दोनों सरकारें राजी हैं कि अफगानिस्तान से हींग का आयात कर इसे शुरू किया जायेगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत व्यवस्था अलग से घोषित की जायेगी ।

27. गत **अवधि के आयात निर्यात प्रतिसंतुलन**:—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचनाएं संख्या : 93–आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 31–7–71, संख्या : 136–आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 8–10–71 संख्या : 157–आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 15–11–71, संख्या : 10–आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 22–1–72 की व्यवस्थाओं के अनुसार अफगानिस्तान से सूखे फलों के किए गये आयातों को अधिक से अधिक 31 जुलाई, 1972 तक प्रतिसंतुलित कर लेना चाहिए। 29 फरवरी, 1972 तक अफगानिस्तान को किए गये अग्रिम निर्यातों के सम्बन्ध में प्रतिआयात आभार को पूरा करने की अन्तिम तारीख सार्वजनिक सूचना संख्या : 10–आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 22–1–72 में दी गई व्यवस्था के अनुसार 31 मार्च, 1972 होगी।

28. **अफगानिस्तान को प्रति निर्यातों का लिये मूल्यांकन करने की विधि**.—वर्तमान व्यापार व्यवस्था अवधि के दौरान भारत से अफगानिस्तान को किये गये प्रति निर्यातों के मूल्य को निश्चित करने के लिए अफगान माल का मूल्यांकन करने की निम्नलिखित विधि होगी:—

> अफगान माल, चाहे वे तत्क्षण खरीद के आधार पर या उपर्युक्त कंडिका 25 के अनुसार आयातित हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय सीमा शुल्क द्वारा स्वीकृत बीजकों के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रति निर्यातों का मूल्य उपर्युक्त संकेतित विधि से निश्चित किये गये के अनुसार आयातों के मूल्य के बराबर किया जाना चाहिए।]

29. **भुगतान की विधि**.—इस व्यवस्था के अन्तर्गत विनिमय की गई वस्तुओं के भुगतान जिनका उल्लेख अनुसूची–ए में किया गया है जिनमें चमड़े और खाल तथा अनुसूची 'बी–1' और 'बी–2' शामिल नहीं हैं, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ई० पी० प्रक्रियों के अनुसार किया जायेगा। अनुसूची–ए, 'बी–1' तथा 'बी 2' के अन्तर्गत नहीं आने वाली वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए भुगतान परिवर्तनीय यू० एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में साख-पत्र की स्थापना कर दी जायेंगी। चमड़े तथा खाल के सम्बन्ध में भुगतान की व्यवस्था को अनुबन्ध–1 की कंडिका 4 (डी) में पहले ही संकेतित कर दिया गया है।

30. **स्वतंत्र विदेशी मुद्रा के मद अनुसूची बी-1 तथा बी-2 की मदों का निर्यात**.—व्यापारी की सूचना के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूची 'बी–1' तथा अनुसूची 'बी–2' के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का निर्यात भी किसी भी मात्रा में अफगानिस्तान को परिवर्तनीय यू०एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में साख-पत्र की स्थापना कर भुगतान की मद्दे की जा सकती है।

अनुबन्ध ।

1972–73 के लिए भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था

अफगान की राजकीय सरकार के वाणिज्य मंत्री महामान्य श्री एम० आरेफ गासी के नेतृत्व में आफिगानिस्तान के एक शिष्टमंडल तथा भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्री श्री एल० ए० मिश्र के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल की व्यापार वार्ता 18 फरवरी से 20 फरवरी, 1972 तक दिल्ली में हुई ।

2. दोनों शिष्टमंडल ने पहले के तीन वर्षों के दौरान की भारत-अफगान व्यापार की कार्य पद्धति के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा की तथा 1972–73 के लिए व्यापार व्यवस्था पर विचार किया । उन लोगों ने यह नोट किया कि व्यापार की नानाविधिता के लिए विकास को सीमित कर दिया गया है । दोनो देशों के शिष्टमंडल ने पारस्परिक लाभ के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार की उन्नति करने, उसमें विकास करने तथा उसको नानाविधि बनाने व्यापार की एक मुखता को समाप्त करने और वर्तमान पद्धति में उत्पन्न कठिनाइयो को दूर करने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की ।

3. भारत सरकार तथा अफगान की राजकीय सरकार इस बात पर राजी हुई कि संयुक्त उद्यम के माध्यम से औषधीय बूटियो के सत्तों के उत्पादन के लिये तथा अफगनिस्तान में उपजाए हुए पौधों के लिए अफगानिस्तान में संयंत्र की स्थापना के लिए वे सुविधाएं प्रदान करेंगे । भारत ने इन सत्तों का अपने खुद के औषधीय उद्योगों में 20 वर्षों की अवधि तक प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव रखा । अफगानिस्तान ने भारत में निर्मित चिकित्सालयी तथा शल्य उपकरणों और अन्य शल्य संभरणो की खरीद करने की अपनी इच्छा जाहिर की । आगे दोनो शिष्टमंडल दोनों देशों में निर्मित दवाइयों और औषधियों का आयात करने पर राजी हुए । चूंकि इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना है, अतः दोनो सरकारो के सम्बद्ध प्राधिकारी उनकी नेशनल फार्मुलरी में, यदि कोई हो, औषधीयों का उत्पादन किया जाता है तो इसके पंजीकरण की अनुमति देंगे । किन्तु यह शुद्धता तथा गुण के निर्धारित मानको के संतुष्टीकरण के अधीन है ।

4. राजकीय अफगान सरकार और भारत सरकार के बीच हुई 1950 की संधि के अनुच्छेद 15 की शर्तों के अनुसार और उन के अपने अपने आयात, निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के अधीन और दोनों सरकारों के बीच वर्षानुवर्ष पूर्ण की जाने वाली विशेष व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन, दोनों सरकारों ने निम्नलिखित के लिए अपनी सहमति की पुनः पुष्टि की :—

(क) अनुसूची 'ए' की पण्य वस्तुओं के अफगानिस्तान से भारत में आयात की अनुमति किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसके आयात अनुसूची 'बी–1' तथा 'बी–2' की पण्य वस्तुओं के निर्धारित अनुपात में भारत के निर्यातों द्वारा प्रति संतुलित है ।

(ख) अनुसूची 'बी–1' और 'बी–2' की पण्य वस्तुओं की भारत से निर्यात की अनुमति ऐसे व्यक्ति को निर्धारित अनुपात में दी जाएगी जिसके निर्यात अफगानिस्तान से अनुसूची 'ए' की पण्य वस्तुओं के आयातों द्वारा प्रतिसंतुलित है ।

(ग) अनुसूची 'ए', 'बी–1' और 'बी–2' में न आने वाली पण्य वस्तुओं के आयातों और निर्यातों के लिए भुगतान साधनों स्थापित करके हस्तांतरणीय यू०एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में किए जाएंगे ।

(घ) द अफगानिस्तान बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ इन्डिया के साथ रखा गया विशेष स्वत: संतुलन लेखा भारत से माल और सेवाओं के निर्यातों के बदले उदार आधार पर चमड़े और खालों के आयातों को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी रहेगा ।

5 भारत सरकार और अफगानिस्तान की राजकीय सरकार के बीच यह समझौता है कि एक देश से दूसरे देश द्वारा आयातित माल आयात करने वाले देश में खपत के लिए उपयोग किया जाएगा और उस माल का तीसरे देश को अपवर्तन निषेध करने और रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ।

6. दोनों सरकारें इस व्यवस्था की कार्य पद्धति में हुई किसी भी कठिनाई को दूर करने के विचार से उपर्युक्त व्यवस्था की पुनरीक्षा के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगी ।

7. यह व्यवस्था 1 मार्च, 1972 से लागू होगी और एक वर्ष तक वैध रहेगी । जब तक दोनों संविदा पार्टियों में से कोई इस संविदा की समाप्ति के एक माह पूर्व इसे खतम करने या इसमें संशोधन करने की सूचना नहीं देती तो यह अपने आप एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ जाएगी । व्यवस्था के द्वितीय वर्ष के समाप्त होने पर, जब तक दोनों पार्टियों में से कोई द्वितीय वर्ष की समाप्ति के एक माह पूर्व इसे खतम करने या इसमें संशोधन करने की सूचना नहीं देती तो यह एक वर्ष और अवधि के लिए अपने-आप बढ़ जाएगी ।

इस 20 फरवरी, 1972 के दिन को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित ।

(ह०) एम० आरेफ गोंस्सी,
वाणिज्य मंत्री
राजकीय अफगान सरकार,
अफगान व्यापार शिष्टमंडल
के नेता ।

(ह०) एल० एन० मिश्र,
विदेश व्यापार मंत्री,
भारत सरकार,
भारतीय व्यापार शिष्टमंडल
के नेता ।

अनुबंध 2

अनुसूची 'ए'

अफगानिस्तान से भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

फल (हर किस्म के सूखे तथा ताजा फल)

हींग

जीरे के बीज

चमड़े तथा खालें

अफगानिस्तान में उत्पादित औषधियां, औषधीय बूटियों के सत्त और पौधे औषधीय बूटियां (नीचे बताए गए के अनुसार)

अंग्रेजी	फारसी
हीसम	जूफा
रोजा रोज फलावर (सूखा)	गुले गुलाब
बरलास (बोरेज)	गुले गाव जेबान
बयुहन्स (बोरेज)	बह दाना
ह्वाइट एण्ड रेड बेहमेन (उर्दू)	बेहमने (सफीद वा सूर्ख)
जुजवे	अोनाव
रतन ज्योत (हिन्दी)	यालैन्ड
माज्रा	तुरंजबील
डोरोनकम	दाराबेन्ज
माज्रा (अलाफारिस स्पिनेसा से लिया गया)	शीर-खैस्त
लिक्वेरिक (मुलेटी)	शिरीन बोया
वाइल्ड करेट	शक्कुल

कोई अन्य वस्तु जो दो सरकारों के मध्य मान ली जाए।

अनबंध 'बी'—1

भारत से अफगानिस्तान को निर्यात के लिए वस्तुएं

1. सी टी सी तथा चूरा के अतिरिक्त चाय
2. कोफी
3. इलायची (छोटी तथा बड़ी)
4. मिर्च
5. तम्बाकू-कच्चा तथा अनिर्मित
6. नारियल जटा तथा जटा उत्पादें
7. रंगने वाले तथा शल्कन पदार्थ (प्राकृति)
8. हर्रे और हर्रे सत्त ।
9. व्यक्तिगत दल द्वारा आयातित चर्म उत्पादें ।
10. व्यक्तिगत दल द्वारा आयातित नारियल जटा उत्पादें ।
11. सूती रेशे, सूती अट्टी और सूती धागे :

अनुसूची 'बी'—2

भारत से अफगानिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं:—

1. वस्त्र:—मिल तथा हस्त निर्मित जिसमें सूती साड़ियां, रेयन तथा ऊन शामिल है होजरी तथा बुने हुए सूती वस्त्र पहनावे, रेयन तथा ऊन; अन्य सूती उत्पादें रेयन तथा ऊन; साड़ियों के कपड़े, साड़ियों, गुलबन्दों और जरी को छोड़कर वस्त्र तथा रेशम की अन्य उत्पादें ।

2. खाद्य उत्पादें

मिष्ठान
मछली—सूखी तथा नमकीन |
फिश प्रान्स—सूखी
परिरक्षित आम तथा तरकारी उत्पादें ।
आवश्यक वस्तुएं तथा तेलवाले स्टोर्स
साबूदाना
टपीका तथा उसके उत्पाद,
गन्ने का गुड़/गन्ने के गुड़ पाउडर (भारतीय गुड़) ।

3. कृषि उ पादें :

हाइड्रोजनीकृत तेल जैसे :—बनस्पति या बतस्पति घी, वनस्पति तेल तथा तेल के बीज

4. रसायनिक उत्पाद तथा साबुन—

रसायन तथा रसायनिक उपक्रम ।

5. दवाई, औषधीयां तथा प्रतिजैविकी

सैरा तथा वैक्सीत,
अफीम के एलकोलायड्स तथा उससे बने हुए
नेप्थेलीन ।
साबुन—शृंगार सामग्री तथा घरेलू वस्तुएं,
आवश्यक शृंगार सामग्री तथा सुगन्धित पेन्टस, पिगमेंट तथा वार्निश ।

6. इंजीनयरी सामान :

मुद्रण मशीनें ,
डीजल इंजन
डीजल इंजन द्वारा संचालित पम्प तथा बिजली की मोटरें,
सिलाई मशीने,
साइकिलें तथा उनके पुर्जे
वस्त्र मशीनें जैसे उनके पुर्जे
वस्त्र मशीने जैसे कार्डिंग मशीन तथा बुनाई करघा ।
मशीन औजार
हाथ औजार तथा छोटे औजार, छोटे नदी जलयान ।
गन्ना पेलने वाली मशीनें ,

चावल, आटा तथा तेल निकालने वाली मशीनें ।
बाल बियरिंग्स
कृषि संबंधी औजार
आटोमोबाइल के साथ जो पुर्जे भेजे जाते हैं उनके अतिरिक्त आटोमोबाइल पुर्जे/ ग्लाइडर्स ।

7. इलैक्ट्रिकल सामान :
विद्युत् साधित्र तथा समायक जैसे कन्डयूट पाइपें, स्विचें, घंटियां, होल्डरें कटआउटें आदि
इलैक्ट्रोड्स,
बिजली के बल्ब और ट्यूबें,
बिजली के पंखे तथा उनके पुर्जे,
इलेक्ट्रिक टार्च लाइटें,
बैटरिया (सूखी तथा गीली)
इलैक्ट्रिक मोटरें,
इबोनाइट शीट्स, रोड़े तथा ट्यूबें
केबुल तथा तारें ।

8. घरेलू तथा भवन संबंधी वस्तुएं :
बर्तन जिसमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन, कुकिंग रेंजिस, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रैसे, टोस्टर, केतलियां आदि भी शामिल हैं ।
घरेलू इलैक्ट्रिक फिटिंग तथा फिक्सर,
छत के लिए खपड़े,
ईटें,
लिनोलियम
स्वास्थ्य संबंधी सामान,
जी०आई०पाइप तथा फिटिंग,
मैनहोल ढक्कन तथा प्लेटें,
मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव,
उद्दीप्त तेल दबाव लैम्प,
तिजोरियां, मजबूत बक्से तथा रूम फिटिंग

9. हार्डवेयर:
ताले तथा पैड लोक,
कटलरी,
बोल्टें, नटें, स्क्रू, और हिन्जस
स्टील के समान और अस्पताल के उपकरण
सभी प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र
तोलने वाली मशीनें,
शल्य चिकित्सा तथा मेडिकल यंत्र
स्टील की बाल्टियां

10. रबड़ की बनी चीजें
टायर और ट्यूबें,
रबड़ के बने हुए अन्य सामान ।

11. चमड़े की बनी चीज जो सरकार या सरकारी प्रकमों द्वारा आयतित हैं ।
कृत्रिम चमड़ा माल ।

12. हस्तशिल्प तथा गृह उद्योग उत्पाद लेखन सामग्री और कागज ।

13. विविध :—
सरकार या सरकारी प्रकमों द्वारा आयात की गई प्रदर्शित सिनेमा फिल्में-वाणिज्यिक
सजावटी प्लाइवुड ,
टेबुल सामग्री, शीशे की बोतलें और चूड़ियों सहित कांच सामग्री
कृत्रिम चीनी मिट्टी के दांत
बनावटी पत्थर
किताबें और छपी सामग्री,
सिगरेट
डाक टिकटें,
परिष्कृत खनिज तेल
माइक्रोमेट्स
खेल सामग्री
तापसह ईंटें तथा तापसह मिट्टी ।
रस्से

14. सरकार या सरकारी प्रकमों द्वारा आयातित जूट उत्पादें ।

15. कोई अन्य पण्य वस्तु जिसके लिए दोनों सरकारें रजामन्द हों ।

अनुसूची 'सी'

भारत से निर्यात के लिए प्राप्य उत्पादों की निदर्शी सूची

1. मशीनरी तथा प्लान्ट और उनके पुर्जे, जैसे :

   (1) खनन मशीनरी तथा उपस्कर

   (2) केनिंग मशीनरी और उनके पुर्जे ।

   (3) बूचड़खाना मशीनरी ।

   (4) सीमेंट प्लान्ट्स ।

2. सड़क बनाने तथा निर्माण करने के लिए मशीनरी जैसे :

   (1) सीमेन्ट मिक्सर ।

   (2) ग्राइन्डेटर्स ।

   (3) पत्थर पीसने वाली मशीनें ।

   (4) पोलिश करने वाले यंत्र ।

   (5) रोड रौलर्स ।

   (6) बुल्डोजर्स ।

3. लोहा तथा इस्पात निर्माण सामग्री जो अनुसूची 'बी' में 'हार्डवेयर' शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित नहीं है ।

4. पेट्रोल पम्प ।

5. विद्युत प्रजनक, वितरण तथा सब-स्टेशन उपस्कर--जिनमें संवहनीय तथा असंवहनीय प्रजनक शामिल है ।

6. वाटर ट्रीटमेंट, स्वेज तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक, उत्पादें ।

7. दूर-संचार उपस्कर जैसें :
   टैलीग्राफ तथा टैलीग्राफ एपरेटस तथा उपस्कर, टैलीफोन उपस्कर आदि ।

8. मोटर गाड़ियां जैसे ट्रक, बस, डम्पस तथा जीप, मोटर गाड़ियों के साथ आयातित पुर्जे तथा उपसाधक भी शामिल हैं ।

9. लकड़ी के काम की मशीन ।

10. प्रशीतक ।

11. ट्रैक्टर ।

12. संपीडक ।

13. लेथे ।

14. ग्रेडर्स ।

15. मध्यवर्ती वातानुकूलित करने वाले उपस्कर

16. लेखामशीन ।

17. काटने के औजार ।

18. फेरस तथा नान-फेरस कास्टिंग और फोर्जिंग ।

19. पी वी सी उत्पादें—जिन में पी वी सी जूते भी शामिल है ।

20. रेडियो रिसिवर ।

21. पेन ।

22. चीनी ।

23. अन्य मदें जो व्यापार समझौते के लिए अनुसूची 'बी 1' तथा अनुसूची 'बी 2' में शामिल नहीं है ।

अनुबंध–3

आयातक/निर्यातक द्वारा भरे जाने वाले क्षेपक-पत्र प्रारूप

मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि निम्नलिखित विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य और सही है। मुझे/हमें पूर्णरूपेण पता है कि यदि इस विवरण में दी गई कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाएगी तो अन्य किसी प्रतिकूल दंडात्मक कार्रवाई जो इस सम्बन्ध में की जा सकती है उसको ध्यान में रखे बिना इस विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्रदान किया गया कोई सीमाशुल्क निकासी परमिट/निर्यात परमिट रद्द किया जा सकता है।

सीमा शुल्क निकासी परमिट का ब्योरा
सीमा शुल्क निकासी परमिट संख्या :
निर्गमन का दिनांक :
माल का विवरण :
मूल्य :

हस्ताक्षर.....
नाम साफ अक्षरों में.....
फर्म का नाम और पता.....

दिनांक :

.....को समाप्त होने वाले महीने के लिए	आयात की मद	आयात: चालू करार अवधि के सीमा शुल्क निकासी परमिट के अधीन किए गए आयातों का कस्टम द्वारा निर्धारित मूल्य/ कस्टम द्वारा निर्धारित भार		हस्तान्तरणों के कारण समायोजन		कुल (रुपये)	अनुसूची बी–1 मदें (मूल्य) (रुपये)	अनुसूची बी–2 मदें (मूल्य) (रुपये)	कुल (मूल्य) (रुपये)	निर्यात: प्रतिशतता		बाहुल्य होने/कम पड़ने की प्रतिशतता	
				जोड़ (रुपये)	घटाएं (रुपये)					बी–1 मदें	बी–2 मदें	(+) बी–1 मदें	(–) बी–2 मदें
		कस्टम द्वारा निर्धारित मूल्य (रुपये)	कस्टम द्वारा निर्धारित भार (कि०ग्रा०)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(i) पिछला जोड़													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(प्रत्येक *मद के पिछले महीनों के प्रयामी योग दीजिए) (ii) ..... (होना और वर्ष लिखें और *मदें, भी निर्दिष्ट करें।													

*मदें ये हैं :—

सूखे फल : 1. बादाम—नरम छिलके वाले, सख्त छिलके वाले, बिना छिलके वाले।

2. पिस्ता—छिल्के वाला, बिना छिलके वाला।

3. किशमिश और अन्य सूखे फल।

4. अन्य मदें, हींग, जीरा बीज, औषधीय जड़ी-बूटी।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972